4/5/18 पत्रावली पेश हुई। वादिनी अधिवक्ता/प्रतिवादिगण उपस्थित। वादिनी की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का प्रस्तुत है/ प्रार्थना पत्र की नकल प्रतिवादिगण को तामील हो। नियमानुसार 13/7/18 को पेश हो।

13/7/18 पत्रावली आज यथास्थिति में समक्ष न्यायालय अधिवक्ता श्री के पेश हुई। पत्रावलि का अवलोकन किया। पत्रावली पर भारी/कमी अभिभाषक के अतिरिक्त पत्र किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं चाहते हैं। अतः पत्रावली पर उपलब्ध किए गए की आधार पर भारी/कमी के अतिरिक्त पत्र लिखित पत्र भारी/कमी करते हुए इसी पत्र पर स्थगित किया जाता है। पत्रावली में अगले कोई अभिभाषक उपस्थित नहीं है। अतः पत्रावली इसी पत्र पर स्थगित किया जाता है। पत्रावली फिलहाल मुख्य फोल्डर पर तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Web Copy Not Official